प्रतिशत कार्य हिन्दी में करना प्रारम्भ कर दिया है ।

(ग) इस मंत्रालय में, राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का पूर्णतः अनुपालन किया जा रहा है ।

राजभाषा अधिनियम का लागू किया जाना

591. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दी सलाहकार समिति की इस वर्ष कितनी बैठकें हुई और राजभाषा कार्यान्वयन समिति में सभी स्तरों पर गैर-सरकारी सदस्यों को पर्यवेक्षक के रूप में नामित किए जाने के संबंध मे क्या स्थिति है ;

(ख) मंत्रालय, सके विभागों, संस्थानों और अधीनस्थ कार्यालयों मे, हिन्दी अनुभाग को छोड़कर किस-किस अनुभाग में शत-प्रतिशत कार्य हिन्दी में किया जा रहा है तथा किस-किस तारीख से किया जा रहा है तथा किन मामलों में हिन्दी को अब तक नहीं अपनाया गया है तथा इसके क्या कारण है ; और

(ग) राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) को मंत्रालय स्तर से निम्नतम स्तर तक क्रियान्वित न किए जाने के क्या कारण हैं जबकि अधिनियम को पारित हुए 24 वर्ष तथा वार्षिक कार्यक्रम को तैयार किए 10 वर्ष हो चुके है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : कैलेंडर वर्ष 1987 के दौरान योजना मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की अब तक दो बैठकें हुई है। मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समितियों मे गैर-सरकारी व्यक्तियो को नामित नही किया जाता। लेकिन योजना मंत्रालय को हिन्दी सलाहकार समिति के किसी एक गैर-सरकारी सदस्य को चालू वर्ष में योजना आयोग और योजना मंत्रालय के सांख्यिकी विभाग की राजभाषा कार्यान्वयन समितियो की बैठकों में पर्यवेक्षक के रूप में भाग लेने के लिए हमेशा आमंत्रित किया जाता रहा है ।

(ख) इस समय, योजना मंत्रालय के किसी भी अनुभाग मे, हिन्दी अनुभाग को छोड़कर शत-प्रतिशत कार्य हिन्दी मे नही किया जा रहा है, क्योंकि सभी कर्मचारियो द्वारा अभी हिन्दी का अपेक्षित ज्ञान प्राप्त नही किया गया है । लेकिन मंत्रालय के सांख्यिकी विभाग के तीन अनुभागों अर्थात् सामान्य अनुभाग, स्थापना 1 अनुभाग और स्थापना-2 अनुभाग को 10-11-1986 से राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 8(4) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट किया गया, जिसके द्वारा यह उपबन्ध किया गया है कि इन अनुभागों के वे कर्मचारी, जिन्हे हिन्दी मे प्रवीणता प्राप्त है, कुछ विनिर्दिष्ट विषयो पर अपना सरकारी काम केवल हिन्दी में करेंगे ।

(ग) योजना मंत्रालय मे राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के उपबन्धो का, कुल मिलाकर अनुपालन किया जा रहा है ।

राजभाषा अधिनियम का लागू किया जाना

502. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दी सलाहकार समिति की इस वर्ष कितनी बैठकें हुई और राजभाषा कार्यान्वयन समिति मे सभी स्तरो पर गैर-सरकारी सदस्यों को पर्यवेक्षक के रूप में नामित किए, जाने के संबंध मे क्या स्थिति है ;

(ख) मंत्रालय, इसके विभागो, संस्थानों और अधीनस्थ कार्यालयों मे, हिन्दी अनुभाग को छोड़कर किस-किस अनुभाग में शत प्रतिशत कार्य हिन्दी मे किया जा रहा है तथा यह किस-किस तारीख से किया जा रहा है तथा किन मामलो में हिन्दी को अब तक नही अपनाया गया है तथा इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) राजभाषा अधिनियम की धारा 8(3) को मंत्रालय स्तर से निम्नतम स्तर तक क्रियान्वित न किए जाने के क्या कारण हैं जबकि अधिनियम को पारित हुए 24 वर्ष तथा वार्षिक कार्यक्रम को तैयार किए 10 वर्ष हो चुके है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) चालू कैलंडर वर्ष के दौरान इस मंत्रालय से सम्बद्ध हिन्दी सलाहकार समिति की पांच बैठकें हुई हैं।

जहां तक इस मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति का सम्बन्ध है, राजभाषा विभाग के स्थायी अनुदेशों के अनुसार समिति में किसी गैर सरकारी सदस्य के नामनिर्दिष्ट किए जाने की कोई गुंजाइश नहीं है।

(ख) और (ग) विधायी विभाग के अधीन राजभाषा खण्ड और विधि साहित्य प्रकाशन अपना कार्य हिन्दी मे करते हैं। राजभाषा अधिनियम, 1963 के उपबंधों और अधीन बनाए गए नियमों तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर दिए गए अनुदेशो के अनुसार इस मंत्रालय के अन्य खण्डों, अनुभागो और अधीनस्थ कार्यालयो मे हिन्दी के प्रगामी प्रयोग पर निरन्तर बल दिया जाता है। तथापि, यह स्पष्ट किया जाता है कि विधायी विभाग मे विधेयको, अध्यादेशो, विनियमों के प्रारूपण और कानूनी नियमों और आदेशों की संवीक्षा से संबंधित कार्य संविधान के अनुच्छेद 348 को ध्यान में रखते हुए, अंग्रेजी मे किया जाता है। इसी प्रकार विधि कार्य विभाग मे सलाह तथा उच्च न्यायालयो और उच्चतम न्यायालय मे सरकारी मुकदमो का कार्य अंग्रेजी में ही किया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त अन्य विभागो द्वारा विधि कार्य विभाग को निर्वचन की बाबत विधिक सलाह के लिए किए गए निर्देश भी साधारण तया अंग्रेजी मे होते हैं।

अतः यह कहना सही नही है कि राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) को कार्यान्वित नही किया जा रहा है।

राजभाषा अधिनियम का लागू किया जाना

593. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दी सलाहकार समिति की इस वर्ष कितनी बैठकें हुई और राजभाषा कार्यान्वयन समिति में सभी स्तरों पर गैर-सरकारी सदस्यों को पर्यवेक्षक के रूप में नामित किए जाने के संबंध में क्या स्थिति है ;

(ख) मंत्रालय, इसके विभागो, संस्थानो और अधीनस्थ कार्यालयों में, हिन्दी अनुभाग को छोड़कर किस-किस अनुभाग में शत प्रतिशत कार्य हिन्दी में किया जा रहा है तथा यह किस-किस तारीख से किया जा रहा है तथा किन मामलों में हिन्दी को अब तक नहीं अपनाया गया है तथा इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) को मंत्रालय स्तर से निम्नतम स्तर तक क्रियान्वित न किए जाने के क्या कारण है जबकि अधिनियम को पारित हुए 24 वर्ष तथा वार्षिक कार्यक्रम को तैयार किए 10 वर्ष हो चुके हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलेरियो): (क) इस वर्ष विदेश मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की केवल एक बैठक ही बुलाई जा सकी। समिति के गैर-सरकारी सदस्यो को मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति में पर्यवेक्षक के रूप में नामित नही किया गया है, तथापि मंत्रालय ने एक उप समिति बनाई है जो इस बात की सिफारिश करेगी कि विदेश स्थित भारतीय मिशनों सहित मंत्रालय के कामकाज के किन क्षेत्रो में हिन्दी को बढ़ाया जा सकता है।

(ख) मंत्रालय के सभी अनुभागों में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाए जाने के प्रयास किए जा रहे है, हालांकि मंत्रालय के किसी अनुभाग में पूर्ण रूप से हिन्दी में कार्य करना अभी भी संभव नही हो